<u>दिनांक 21 मार्च, 2017 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली</u>

अन्य विविध मामले :–

मद संख्या (घ–1):–

मेसर्स नवीन ट्रांसपोर्ट के वाहन संख्या–CG-07E-3060 एवं CG-07E-6030 पर छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा मार्ग अंबिकापुर से पटना पर निर्गत परमिट संख्या – CG/ STA /34/2016 एवं CG/ STA /35/2016 के प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्राप्त आवेदन पर सैय्यद अहमद अली एवं बसीउर रहमान द्वारा निम्न बिन्दुओं पर आपत्ति दर्ज की गई :–

1. मेसर्स नवीन ट्रांसपोर्ट द्वारा एक वाहन पर आर0टी0ए0, बिलासपुर से मार्ग दुर्ग से अंबिकापुर तक तथा उसी वाहन पर उसी वाहन पर एस0टी0ए0, छत्तीसगढ़ से मार्ग अंबिकापुर से पटना तक परमिट लिया गया है । इस प्रकार एक ही वाहन पर दो परमिट लेकर तथा दो मार्गों को जोड़कर वाहन परिचालन किया जाएगा ।
2. मेसर्स नवीन ट्रांसपोर्ट के वाहन छत्तीसगढ़ राज्य के कर प्रमादी है ।
3. एक ही वाहन को लगातार 20 घंटे चलाया जाएगा जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है ।

दर्ज आपत्तियों की सुनवाई राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार द्वारा की गई तथा इसे राज्य परिवहन प्राधिकार के समक्ष विचारार्थ रखने का आदेश पारित किया गया ।

अतः उक्त के आलोक में मेसर्स नवीन ट्रांसपोर्ट के वाहन संख्या–CG-07E-3060 एवं CG-07E-6030 के पक्ष में एस0टी0ए0, छत्तीसगढ़ द्वारा निर्गत परमिट संख्या – CG/ STA /34/2016 एवं CG/ STA /35/2016 के प्रतिहस्ताक्षर पर सैय्यद अहमद अली एवं श्री बसीउर रहमान द्वारा दर्ज आपत्ति पर राज्य परिवहन प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है।

नोटः– कार्यावली (एजेन्डा) में किसी भी प्रकार की अशुद्धि/ त्रुटि/ टंकण अशुद्धि पाये जाने पर उसमें सुधार का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा ।